तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/पीडीआर/5104/2006/भीलवाडा कमालुदीन ठेकेदार बनाम अधिशाीष अभियंता, सा0नि0वि0भीलवाडा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.03.21	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री मदनलाल गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी के। श्री ओ0पी0भट्ट्, अधिवक्ता अप्रार्थी के । **<u>निर्णय</u>** प्रार्थी ने यह निगरानी अंतर्गत धारा 23(बी) पी0डी0आर0एक्ट, 1952 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, भीलवाडा के समक्ष राजस्थान लोक अभियाचन वसूली अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अंतर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि राजस्थान लोक अभियाचन वसूली अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर उक्त अधिनियम की धारा 4 के प्रमाण पत्र राजस्व लेखा अनुभाग को प्रस्तुत किया गया जिसकी जानकारी तहसील कार्यालय के मार्फत प्रार्थी को दिनांक 01.2.2006 को होने से प्रार्थी का धारा 8 के अंतर्गत वाद राशि बाबत कोई दायित्व नहीं है। धारा 4 के प्रमाण पत्र में उल्लेखित राशि अधिशाीषी अभियंता सा0न0वि वृत भीलवाडा के आदेश दिनांक 17.09.91 के अनुसार 30071/– रूपये बकाया होना दर्शाया गया। विधि में किसी भी बकाया राशि की वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही के लिए अधिकतम समय सीमा 3 वर्ष निर्धारित की गयी है। इस प्रकार वर्णित राशि की वसूली कार्यवाही प्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 16.9.94 तक ही संस्थित कराई जा सकती थी, परन्तु विपक्षी ने धारा 4 के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी कराये जाने हेतु आवेदन वर्ष 2002 के बाद भिजवाया जो प्रथमतः अवधिपार होकर इसी आधार पर पोषणीय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/पीडीआर/5104/2006/भीलवाडा कमालुदीन ठेकेदार बनाम अधिशाीष अभियंता, सा0नि0वि0भीलवाडा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं था। आवेदन यह भी अनुरोध किया कि पक्षकारों के मध्य संपादित राशि कार्य अनुबंध की शर्तो के अनुसार निर्धारित राशि नहीं है इसलिए उपरोक्त राशि वसूली योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अपने निर्णय दिनांक 12.06. 2006 से अस्वीकार कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्व प्रार्थी ने अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाडा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.7.06 से प्रार्थी की अपील खारिज कर दी। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से ग्रसित होकर यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी में सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि किसी भी वसूली के लिए उसकी परिसीमा कानून में तीन वर्ष निर्धारित की गयी है और तीन वर्ष के पश्चात किसी भी राशि को वसूल नहीं किया जा सकता है। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने दिनांक 17.9.91 को हुये आदेश की वसूली के लिए वर्ष 2002 में आवेदन किया है इसलिए उक्त आवेदन मियाद बाहर होने से निरस्त किये जाने योग्य था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुये निर्णय पारित किया जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रार्थी के विरूद्व देय बकाया राशि का निर्धारण किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। अनुबंध की शर्तो के अनुसार पक्षकारों के मध्य उत्पन्न हुये विवाद का समुचित निस्तारण आर्बीट्रटर के माध्यम से कराया जाना चाहिए था जिसकी शर्तो की कोई पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति प्रार्थी के विरूद्व जारी प्रमाण पत्र के आधार पर की जा रही	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/पीडीआर/5104/2006/भीलवाडा कमालुदीन ठेकेदार बनाम अधिशीष अभियंता, सा0नि0वि0भीलवाडा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वसूली नियमानुसार पोषणीय नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी के विरूद्व लोक अभियाचन वसूली अधिनियम 1952 की धारा 4 के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करते समय धारा 8 का उल्लेख नहीं किया गया यह एक तकनीकी भूल है इसके अभाव में दिया गया आदेश दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता। प्रार्थी के कथन का उन्होंने अपने निर्णय में समर्थन करते हुये आदेश पारित किया जिसका क्षेत्राधिकार उनको नहीं था। अपील अधिकारी ने इस बिन्दु पर अपना कोई निर्णय पारित नहीं किया है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अभिभाषक ने मंडल की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय उनवानी बद्रीप्रसाद बनाम सत्यनायण 1996 (3) आर0बी0जे0 पेज 418 प्रस्तुत करते हुये निगरानी को स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान उप रजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी का यह कथन सही नहीं है कि वसूली के लिए समय सीमा 3 वर्ष है क्योंकि परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 112 में राजकीय वसूली की समय सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। जहां तक अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार आर्बीट्रेटर के माध्यम से समझौते से राशि वसूली का निस्तारण का प्रश्न है यदि प्रार्थी ठेकेदार ने विभागीय अनुबंध शर्तो के अनुसार कार्य को यथासमय पूर्ण नहीं करने के कारण राज्य सरकार को जो क्षति हुई और उस कार्य को पूरा कराने के लिए अन्य ठकेदार से कार्य पूरा करया गया था तो आर्बीट्रेटर के समक्ष प्रार्थी स्वयं अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दादरसी ले सकते थे किन्तु उन्होने ऐसा नहीं किया। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रार्थी का यह तर्क कि सक्षम न्यायालय से राशि निर्धारण करवाया जाना चाहिए, निराधार है क्योंकि राजस्थान लोक अभियाचन अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि विभागीय स्तर पर किसी भी विभाग द्वारा अनुबंध शर्तो पर कार्य कराने हेतु समय सीमा व राशि निर्धारित की जाती है। विद्वान अभिभाषक ने बहस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/पीडीआर/5104/2006/भीलवाडा कमालुदीन ठेकेदार बनाम अधिशाीष अभियंता, सा0नि0वि0भीलवाडा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के अंत में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को विधिसम्मत बताते हुये प्रस्तुत निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रकरण के समस्त विवेचन व विश्लेषण और विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय अपर जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय के पेज संख्या 3 पर प्रथम बिन्दु व द्वितीय बिन्दु में अंकित किया है कि

''प्रथम बिन्दु के बारे में मूल प्रकरण के निस्तारण के समय ही स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी कि राजकीय वसूली के लिए परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 112 में समय सीमा 3 वर्ष न होकर 30 वर्ष है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी ने अपने आवेदन में जो तथ्य अंकित किया वो मान्य नहीं है।

द्वितीय बिन्दु जिसमें अनुबंध शर्तो के अनुसार आर्बीट्रेटर के माध्यम से अर्थात् आपसी समझौते से राशि वसूली का निस्तारण करने का प्रश्न है इस सम्बंध में यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने विभागीय अनुबंध शर्तो के अनुसार कार्य को यथासमय अंजाम नहीं देने के कारण सरकार को क्षति हुई तथा कार्य को पूर्ण कराने के लिए अन्य ठेकेदार का सहारा लिया गया, तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह दायित्व था कि यदि वो राशि जमा नहीं कराना चाहता है तो आर्बीर्ट्टर के समक्ष स्वयं अपना आवेदन प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसके द्वारा ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रकट नहीं होता है।''

अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि

''वसूली के लिये समय सीमा 3 वर्ष है क्योंकि परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 112 मे राजकीय वसूली की समय सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। जहां तक अनुबन्ध

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/पीडीआर/5104/2006/भीलवाडा कमालुदीन ठेकेदार बनाम अधिशाीष अभियंता, सा0नि0वि0भीलवाडा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

शर्तो के अनुसार आर्बीट्रेटर के माध्यम से समझौते से राशि वसूली का निस्तारण का प्रश्न है यदि अपीलार्थी ठेकेदार ने विभागीय अनुबन्ध शर्तो के अनुसार कार्य का यथासमय पूर्ण नही करने के कारण राज्य सरकार को जो क्षति हुई और उस कार्य को पूरा कराने के लिये अन्य ठेकेदार से कार्य पूरा कराया गया था तो आर्बीट्रेटर के समक्ष अपीलार्थी स्वयं अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दादरसी ले सकते थे किन्तु उन्होने ऐसा नही किया है। अपीलार्थी के इस तर्क से भी हम सहमत नही है कि सक्षम न्यायालय से राशि निर्धारण करवाना चाहिये था। राजस्थान लोक अभियाचन अधिनियम की 1952 मे स्पष्ट प्रावधान है कि विभागीय स्तर पर किसी भी विभाग द्वारा अनुबन्ध शर्तो पर कार्य कराने हेतु समय सीमा व राशि निर्धारित की जाती है तो अनुबन्धकर्ता एवं विभाग के मध्य जो अनुबन्ध तय किये जाते है उसके अनुरूप कार्य नही करने पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राशि वसूली करने के प्रावधान है।''

इस प्रकरण के सबंध में पत्रावली पर प्रस्तुत सभी संबंधित दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजकीय वसूली के लिए परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 112 में समय सीमा 3 वर्ष न होकर उससे अधिक 30 वर्ष है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी पक्ष ने जो तथ्य अंकित किये है वो मान्य व विधिपूर्ण नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अनुबंध शर्तो के अनुसार आर्बीट्रेटर के माध्यम से अर्थात् आपसी समझौते से राशि वसूली को निस्तारण करने का प्रश्न है इस सम्बंध में यह स्पष्ट प्रमाणित है कि प्रार्थी ने विभागीय अनुबंध शर्तो के अनुसार कार्य को यथासमय पूर्ण अंजाम नहीं देने के कारण सरकार को क्षति हुई तथा कार्य को पूर्ण कराने के लिए अन्य ठेकेदार का सहारा लिया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह दायित्व था कि यदि वो राशि जमा नहीं कराना चाहता है तो आर्बीर्ट्टर के समक्ष स्वयं अपना आवेदन प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसके द्वारा ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाना व उसके

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/पीडीआर/5104/2006/भीलवाडा कमालुदीन ठेकेदार बनाम अधिशाीष अभियंता, सा0नि0वि0भीलवाडा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अनुतोष प्राप्ति की कार्यवाही प्रकट नहीं होता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय पारित किये गये है जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि या अनियमितता नहीं होने के कारण हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज की जाती है। दोनों अधीनसथ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 12.06.06 व 20.7.06 यथावत रखे जाते है। निर्णय की सूचना योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/पीडीआर/5104/2006/भीलवाडा कमालुदीन ठेकेदार बनाम अधिशाीष अभियंता, सा0नि0वि0भीलवाडा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए